संख्या– 1275 /9–9–12–205ज/12

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0,लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2012**

विषयः नगरीय स्थानीय निकायों में शत् प्रतिशत भवन व भूमि को सम्पत्ति कर से आच्छादित करने हेतु अभियान।

महोदय,

प्रदेश की स्थानीय नागर निकायें संवैधानिक रूप में स्वायत्तशासी स्वरूप में गठित हैं और उनके कार्य भी स्पष्ट रूप में संगत अधिनियमों में निर्धारित हैं। निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु यह परम आवश्यक है कि वे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनें। कतिपय नागर निकायों द्वारा अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने में अपेक्षित रूचि न लेने के कारण वे उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं और फलस्वरूप अपने दायित्व के अनुसार स्थानीय नागरिकों को वांछित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रहीं हैं।

2. स्थानीय निकायों की आय के प्रमुख संसाधनों में सम्पत्ति कर से प्राप्त होने वाली आय है। इस मद से प्राप्त आय इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उस निकाय में भवनों भूमियों की कराच्छादन की स्थिति कैसी है। जिस निकाय में जितना अधिक कराच्छादन होगा वहां की सम्पत्ति कर की आय उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी भी निकाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कराच्छादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कर निर्धारण प्रणाली के कतिपय दोषों को समाप्त कर उसे पारदर्शी और जनापेक्षाओं के अनुरूप बनाने के दृष्टिकोण से स्वकर निर्धारण प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। इस प्रणाली का व्यापक प्रचार–प्रसार, जन सम्पर्क कर नागरिकों को इसके बारे में जानकारी देते हुए स्वकर निर्धारण के लिए प्रोत्साहन और सकारात्मक सोच के अभाव में कतिपय निकायों में इस दिशा में आशानुरूप उपलब्धि नहीं मिल पायी है। स्वकर निर्धारण हेतु निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात् निकाय कर्मियों द्वारा नियमानुसार करारोपण की व्यवस्था होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित रूचि का अभाव दृष्टिगत हो रहा है। परिणामस्वरूप अधिकांश नगरीय निकायों में पर्याप्त संख्या में भवन/भूमि कराच्छादन से अभी–भी छूटे हुये हैं, जो उचित नहीं है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय में समस्त भवन/भूमि को सम्पत्तिकर से शत् प्रतिशत आच्छादित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

1. दिनांक 20 सितम्बर से 10 अक्टूबर 2012 तक कर से अनाच्छादित भवनों/भूमियों का वार्डवार चिन्हीकरण वार्ड के राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाय।
2. दिनांक 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उपरोक्तानुसार चिन्हीकृत भवनों के विवरण को सम्बन्धित स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

go-y

3. इसी क्रम में 30 नवम्बर तक चिन्हित भवनों के कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

4. 30 नवम्बर 2012 को वार्डवार सभी राजस्व निरीक्षकों से अधीक्षकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र निम्न प्रारूप पर प्राप्त किया जाय–

<u>प्रमाण–पत्र</u>

"प्रमाणित किया जाता है कि जोन संख्या/नाम ..... वार्ड संख्या– ..... वार्ड का नाम ..... में दिनांक 30.11.12 की तिथि तक के निर्मित एवं कर आरोपण योग्य समस्त भूमि/भवन का कर निर्धारण कर दिया गया है तथा अब कोई भी भूमि/भवन कराच्छादन से छूटा हुआ नहीं है।

वार्ड में निर्माणाधीन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन किए जा रहे भवनों की सूची निम्नलिखित है जिन्हें पूर्ण होते ही कराच्छादित कर दिया जायेगा। इनके अतिरिक्त वार्ड के सभी भवन व भूमि पूर्णरूप से कराच्छादित हैं।

क्रमांक	भवन संख्या	भवनस्वामी/अध्यासी का नाम	निर्माण/परिवर्तन,परिवर्धन पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	<u>निर्माण/परिवर्तन</u>, परिवर्धन का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5

प्रतिहस्ताक्षरित
अधीक्षक
दिनांक

हस्ताक्षर
राजस्व निरीक्षक
दिनांक

5. शत प्रतिशत कराच्छादन हेतु दिनांक 30 नवम्बर 2012 से पुरस्कार/प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जाय जिसके अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से इस आशय का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय कि नगर में स्थित ऐसे **भवन भूमि जिनका कर निर्धारण अभी–तक नहीं हुआ** है, की सूचना/गोपनीय सूचना देने वाले को, सूचना सत्य पाये जाने पर पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम उसके अनुरोध पर गोपनीय रखा जा सकता है। इस हेतु स्थानीय परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुकूल पुरस्कार की धनराशि का निर्धारण नगर निगमों द्वारा तथा नगर पालिका परिषदों/पंचायतों में कर लिया जाय। पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि प्रश्नगत नव कराच्छादित भवनों के एक वर्ष के सम्पत्ति कर के समतुल्य व कम से कम 50 प्रतिशत तक निर्धारित किया जा सकता है ।

6. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हुए कर निर्धारण में अथवा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर निरीक्षक का प्रमाण–पत्र की सूचना गलत पाए जाने पर सम्बन्धित वार्ड के राजस्व निरीक्षक और अधीक्षक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय व निकाय को हुई हानि की वसूली की जाय।

7. अधिशासी अधिकारी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, जोनल अधिकारी और नगर आयुक्त द्वारा इस अभियान की नियमित समीक्षा की जाय और अभियान की प्रगति का पाक्षिक विवरण निदेशालय के माध्यम से शासन में प्रस्तुत किया जाय।

उक्त निर्देशों के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

go-y

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)।
2– समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)।
4– वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10-9-202
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।